प्रेस नोट संख्या 19

दिनांक- 10.09.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास एवं 01 लाख 35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 894/14 धारा 147/148/302/307/149/452/504/506 भादवि एवं 07 सीएल एक्ट थाना अमेठी के अभियुक्तगण 1.हकीमुद्दीन उर्फ बच्चा 2.निजामुद्दीन 3.कमालुद्दीन पुत्रगण गफ्फार 4.मासूक पुत्र हबीब 5.जावेद पुत्र निजामुद्दीन निवासीगण बेनीपुर थाना व जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्तों को आज दिनांक 10.09.2024 को धारा 147 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रू0 अर्थदण्ड धारा 148 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रू0 अर्थदण्ड धारा 452 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रू0 अर्थदण्ड धारा 302 भादवि मे आजीवन सश्रम कारावास व 01 लाख रु0 अर्थदण्ड धारा 307 भादवि मे 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 रू0 अर्थदण्ड धारा 504 भादवि में 02 वर्ष साधारण कारावास एवं 5000 रू0 अर्थदण्ड धारा 506 भादवि में 02 वर्ष साधारण कारावास व 5000 रू0 अर्थदण्ड एवं 07 सीएल एक्ट में 06 माह सश्रम कारावास से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 25.07.2014 समय 19.35 बजे उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर वादी की पुत्री को मारने की नीयत से घायल कर देना जिससे इलाज के दौरान हत्या होने की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 894/14 धारा 147/148/302/307/149/452/504/506 भादवि एवं 07 सीएल एक्ट थाना अमेठी पर पंजीकृत होकर विवेचक निरीक्षक श्री अब्दुल हमीद द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-141 दिनांक 15.10.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।